भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 5739
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गुजरात में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

†5739. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में सभी नागरिकों के लिए समान, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गुजरात में विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत उठाए गए कदमों/किए गए उपायों का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जारी की गई और व्यय की गई निधि का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) साम्य, किफायती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच की उपलब्धि की परिकल्पना करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी हैं। एनएचएम में इसके दो उप-मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम) शामिल हैं। कार्यक्रम संबंधी मुख्य घटकों में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल और किशोर स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच+ए) और संचारी व गैर-संचारी रोग शामिल हैं। इस मिशन के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

- **प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल एवं किशोर स्वास्थ्य सेवाएं (आरएमएनसीएच+ए)** जिनमें विशेष नवजात परिचर्या एककों (एसएनसीयू) और नवजात परिचर्या स्थिरीकरण एककों (एनबीएसयू), मातृ एवं बाल स्वास्थ्य स्कंधों, नेमी रोग प्रतिरक्षण और पल्स पोलियो प्रतिरक्षण आदि सहित

सुविधा आधारित नवजात परिचर्या सहित जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) शामिल हैं।

- **स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण** जिनमें अवसंरचना, मानव संसाधन और कार्यक्रम प्रबंधन, रोगी परिवहन सेवाओं (मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को ले जाने के लिए महत्वपूर्ण परिचर्या के लिए डायल 108 और मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को ले जाने के लिए डायल 102 सहित), चल चिकित्सा एकक, आशाकर्मियों की नियुक्ति सहित सामुदायिक भागीदारी, रोगी कल्याण समितियों की भागीदारी, आयुष को मुख्य धारा में लाना और औषधियों, उपकरणों, निदान आदि की व्यवस्था शामिल है।
- **संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम -** इसमें मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, काला अजार, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना को नियंत्रित करने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शामिल हैं।
- **गैर-संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम -** जिला अस्पताल स्तर तक कार्यकलाप - जिसमें राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग और आघात निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस), राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी), राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य परिचर्या कार्यक्रम (एनपीएचसीई), राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) और राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनओएचपी) शामिल हैं।

- **अवसंरचना का रखरखाव-** एएनएम और एलएचवी आदि के वेतन का समर्थन करने के लिए - इस घटक के तहत राज्यों को योजनाओं की वेतन आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है जैसे निर्देश और प्रशासन (राज्य और जिला स्तर पर परिवार कल्याण ब्यूरो), उप-केंद्र, शहरी परिवार आरोग्य केंद्र, शहरी सुधार योजना (स्वास्थ्य संबंधी पद), एएनएम/एलएचवी प्रशिक्षण स्कूल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, और बहुउद्देश्यीय श्रमिकों (पुरुष) का प्रशिक्षण शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का उद्देश्य स्वास्थ्य के व्यापक सामाजिक निर्धारकों का समाधान करने के लिए प्रभावी अंतरक्षेत्रीय अभिसरण कार्रवाई के साथ लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी साम्य, किफायती और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करना है। इसे देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए गुजरात सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए

अनुमोदन प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों का विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है:

https://nhm.gov.in/index4.php?lang=1&level=0&linkid=56&lid=69 पर

(ग) : वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2023-24 तक गुजरात राज्य के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत केंद्र द्वारा जारी निधि और व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रु में)

क्र.सं.	वित्त वर्ष	केंद्र द्वारा जारी की गई निधि	व्यय
1.	2019-20	1110.80	1864.73
2.	2020-21	1005.66	1894.46
3.	2021-22	1094.48	1835.81
4.	2022-23	1120.06	2292.35
5.	2023-24	1506.96	3672.25

*****